नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) दी कोआपरेटिव स्टोस लि०, दिल्ली जो कि सुपर बाजार के नाम से लोकप्रिय है, उपभोक्ता वस्तुओं में खुदरा व्यापार करता है और उनसे लाभ कमाने के लिए निवेश नहीं करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा दी गई कुल बिक्री और अर्जित निवल लाभ नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	बिक्री	निवल लाभ
1990-91	9815.01	21.84
1991-92	9784.01	9.33
1992-93	10303.98	10.83

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर्स लि० एक सहकारी समिति है जो कि दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों और उप-विधियों के तहत पंजीकृत है। इस सोसाइटी को निजी क्षेत्र को सौंपने का प्रश्न नहीं उठता है।

सुपर बाजार की परियोजनाओं के लिये बजट-आबंटन

6214. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन**: क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 25 अप्रैल, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 4243 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुपर बाजार की किन-किन परियोजनाओं के लिए सरकार ने गत वर्ष के वित्तीय बजट में धनराशि प्रदान की थी; और

(ख) क्या सुपर बाजार ने आवंटित धनराशि को वस्तुतः परियोजनाओं के लिए ही प्रयुक्त किया है और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान सुपर बाजार को 26 शाखाओं का नवीकरण करने, 2 जेनेरेटर सेट तथा एक डिलीवरी वाहन खरीदने के लिए 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि शाखाओं के नवीकरण से संबंधित काम पूरा हो गया है और डिलीवरी वाहन तथा जेनेरेटर सेटों की खरीद के लिए आर्डर दे दिए गए हैं।

Per capita expenditure incurred by Super Bazar

6215. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) what is the per capita expenditure proposed to be incurred by the Super Bazar during the Eighth Five Year Plan;

(b) what are the sources from which this amount is proposed to be mobilised on the basis of per capita average; and

(c) the average standard of income likely to be raised at the end of the Eighth Five Year Plan as compared to its initial stage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Super Bazar has reported

that the per capita average expenditure on salary, wages, allowances and other banefits to its employees were of the order of Rs. 0.30 lakhs during 1992-93 and Rs. 0.34 lakhs in 1993-94. Super Bazar has estimated average per capita expenditure during 1994-95, 1995-96 and 1996-97 of the order of about Rs. 0.39 lakhs, 0.42 lakhs and Rs. 0.47 lakhs respectively.

(b) Super Bazar is meeting the expenditure on payment of salary, wages, allowances and other benefits to its employees from its own resources.

(c) Super Bazar has estimated an increase of Rs. 0.17 lakhs by the end of the Five Year Plan as compared to the year 1992-93.

Outstanding taxes from Super Bazar

6216. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Super Bazar consumer society was asked to pay Rs. 90 lakh as sales-tax/corporate tax which has been outstanding for the last three years;

(b) if so, the details thereof;

(c) what are the taxable earnings of the Super Bazar during the last three years, year-wise;

(d) when was the demand made by the sales-tax authority; and

(e) at what stage is the same at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Financial Year	Assessment Year	Taxable Income
1990-91	1991-92	Rs. 13, 54,524/- as assessed the Income Tax Authority)
1991-92	1992-93	Rs. 3,60,790/- as per the return of Income filed)
1992-93	1993-94	NIL (as per the return of Incom filed)

(d) No demand of sales tax is pending against Super Bazar.

(e) Does not arise.

राशन की वस्तुयें न लेने पर राशन-कार्ड को रद्द किया जाना

6217. **श्री अजीत जोगी :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी उपभोक्ता द्वारा उचित दर की दुकान से लगातार दो महीने तक राशन न लेने पर राशनकार्ड रद्द हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ;

(ग) क्या ऐसे राशनकार्डों का नवीकरण हो सकता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?